हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांकः– 8 मई, 1997

क्र0 सं0 सा0 का0 नि0 32/संवि0/अनु0 309/97, – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा स्थानीय निकाय निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तिगतयों की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

भाग–I सामाग्य

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

1. (1) ये नियम हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1997 कहे सकते हैं।

(2) ये तुरन्त लागू होगें।

परिभाषाएँ।

2. इन नियमों में, जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण बोर्ड, हरियाणा ;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''निदेशक '' से अभिप्राय है, निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा ;

(घ) ''सरकार '' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) संस्था से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय '' से अभिप्राय है;

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित काई भी विश्वविद्याालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र(डिप्लोमा)या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्याालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल घोषित किया गया हो ;

(छ) ''भर्ती प्राधिकरण '' से अभिप्राय है अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा या सेवा में नियुक्ति के लिये सिफारिश करने हेतु परीक्षा का प्रबन्ध करने या चयन करने के लिये साक्षात्कार करने हेतु सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की कोई अन्य समिति ;

(ज) ''सेवा '' से अभिप्राय है हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तनिर्हित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा मे पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्त्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम या पैतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशालय द्वारा की जायेंगी।

अर्हताएं।

कोई भी व्यक्ति सेवा मे किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पूर्वोतम परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लेखित योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिये प्र्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं। 8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जायेगी,–?

(क) अनुभाग अधिकारी की दशा में,–

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगें किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) निजि सहायक की दशा में,––

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति द्वारा ;-

(ग) उप अधीक्षक की दशा में;-

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) कनिष्ठ अभियन्ता की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत प्रारूपकारों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड.) प्रारूपकार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा मं पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(च) सहायक की दशा में ; –

(i) आशुटंककों, पंजीकरण निरीक्षकों, लिपिकों एवं पंजीकरण लिपकों अथवा मोहररों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(छ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत आशुटंकक में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ज) चालकों की दशा में,––

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;-

(झ) आशटंकक की दशा में;--

(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(त्र) पंजीकरण निरीक्षक की दशा में,––

(i) लिपिक एंव पंजीकरण लिपिक या मोहरर में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा;

(ट) लिपिक एंव पंजीकरण लिपिक और मोहरर की दशा में;-

(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, और

(ii) 20 प्रतिशत रैस्टोररों अथवा सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा, या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(ठ) गेस्टेटनेटर आप्रेटर की दशा में;-

(i) दफ्तरी, सेवादार, चौकीदार, मेहतर में से पदोन्नति द्वारा,

टिप्पणीः– अधिमान दफ्तरी को दिया जाएगा और यदि दफ्तरी इस पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया जाता तब सेवादार, चौकी दार, मेहतर पर इस पदोन्नति के लिए वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा; तथा

(ii) किसी राज्य सरकार भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड) रेस्टोरर की दशा में;-

(i) दफ्तरी, सेवादार, चौकीदार या मेहतर में से पदोन्नति द्वारा, दफतरी को अधिमान दिया जाऐगा और यदि दफ्तरी इस पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया जाता तब सेवादार, चौकीदार, मेहतर पर इस पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा,

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिवीक्षा

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए अधिकार नहीं करेगी।

(10) (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो , तो दो वर्ष की अवधि के लिये यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु,:–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्ति न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्ते अनुसार हो,

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति न किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो, तो उसे स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है।

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्ते अनुसार हो, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा–काल के अनुसार निश्चित की जायेंगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ऐसी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बडा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए उतरदायी होगा।

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले

13 वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी मामलो के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएं।

अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलें

14 (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलो से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप तो लगायी जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगे।

राजनिष्ठा की शपथ

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

17. जहॉ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहॉ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप, उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट ''क''

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			अनुरूप वेतन बैंड
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अनुभाग अधिकारी	—	1	1	2,000—60—2,300—द.रो—75 ——3,200+रूपये 100 विशेष वेतन
2.	निजि सहायक	—	1	1	1,640—60—2,600—द.रो. 75 2,900 रूपये+150 विशेष वेतन
3.	उप—अधीक्षक	1	—	1	1,640—60—2,300—द.रो. 75— 2,900 रूपये
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	—	1	1	1,640—60—2600—द.रो—75— 2,900 रूपये
5.	प्रारूपकार	1	2	3	1,400—40—1,600—द.रो 2,300—60—2,600 रूपये
6.	सहायक	3	19	22	1,400—40—1,600—50—2,300 द.रो 60—2,600 रूपये
7.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	2	2	1,400—40—1,600—50—2,300 द.रो. 60—2,600 रूपये
8.	चालक	—	5	5	1,200—30—1,560—द.रो. 40—2,040—रूपये+200 विशेष वेतन
9	आशुटंकक	2	9	11	950—20—1,150—द.रो. 25—1,500 रूपये+100 विशेष वेतन
10.	पंजीकरण निरीक्षक	1	2	3	950—20—1,150—द.रो0 25—1,500 रूपये+50 विशेष वेतन
11.	लिपिक एंव पंजीकरण लिपिक	16	14	30	950—20—1150—द.रो. 25—1,500 रूपये
12.	मोहरर	1	—	1	950—20—1,150—द.रो 25—1,500 रूपये
13.	गैस्टैटनर आंपरेटर/	1	1	2	950—20—1,150—द.रो—25—1,500 रूपये
14.	रेस्टोरर	1	1	2	950—20—1,150—द.रो.—25—1,500 रूपये

परिशिष्ट ''ख''

(देखिये नियम–7)

क्रम संख्या	पद नाम		सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	अनुभाग अधिकारी		––		अधीनस्थ लेखा सेवाओं की योग्यता
2	निजी सहायक		––		वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
3	उप अधीक्षक		––		सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
4	वरिष्ठ अभियन्ता	(i) (ii)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग मं तीन वर्ष डिप्लोमा, मैट्रिक स्तर तक हिन्दी।	(क) (ख)	सिविल इंजीनिरी में डिप्लोमा, प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
5	प्रारूपकार	(i)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार सिविल का दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल अथवा बोर्ड से हिन्दी सहित मैट्रिक अथवा समकक्ष।		प्रारूपकार के तीन वर्ष का अनुभव।
6	सहायक		––	(i)	आशुटंकक के रूप मं पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें दो वर्ष क लिपिक का अनुभव शामिल है अथवा
				(ii)	पंजीकरण निरीक्षक अथवा लिपिक एवं पंजीकरण लिपिक या मोहरर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
7	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल या बोर्ड से हिन्दी सहित दसवीं या उसके समकक्ष तथा हिन्दी आशुलिपि से 80 शाब्द प्रति मिनट मिनट की गति से और अंग्रजी आशुलिपि मं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः 15 तथा 20 शब्द प्रति		आशुटंकक क रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यंतरण तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यतरण में टैस्ट पास किया हो।

			मिनट की गति से उसका लिप्यांतरण का टैस्ट पास किया होना चाहिय।		
8	चालक	(i) (ii)	आठवी पास हो तथा हल्के/भारी वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति रखता हो तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो; वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव।		रेस्टोरर, दफतरी अथवा सेवादार के रूप मे 3 वर्ष का अनुभव तथा भारी वाहन/हल्के वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति रखता हो तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ लिखना जानता हो;
9	आशुटंकक	(i) (ii) (ख)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या बोर्ड से मैट्रिक वा इसके समकक्ष; 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यतरण या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यतरणमें टैस्ट पास करना होगा। दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(i) (ii)	लिप्कि के रूप में पांच वर्ष का अनुभव, तथा हिन्दी आशुलिपि में64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यतरण या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यतरणमें टैस्ट पास करना होगा। टिप्पणी– परीक्षा 5 मिनट अवधि की होगी और परीक्षा पास करने के लिये 8 प्रतिशत गलतियां अनुज्ञात होगी।
10	पंजीकरण निरीक्षक		––		लिपिक एवं पजीकरण लिपिक या मोहरर के रूप में एक वर्ष का अनुभव
11	लिपिक एवं पंजीकरण लिपिक	(क) (ख)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल अथवा बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा इसके समकक्ष; मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(क) (ख)	रैस्टोरर या सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष।

		(ग)	विभागीय टाईप टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी मं 25 या 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से टाईप पास करना होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए केवल टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही हकदार होगा।	(ग) (घ)	विभागीय टाईप टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी मं 25 या 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से टाईप पास करना होगा तथा वार्षिद वेतन बृद्धि के लिए केवल टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही हकदार होगा। हिन्दी का ज्ञान मैट्रिक तक।
12	मोहरर	(क) (ख) (ग)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल अथवा बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा इसके समकक्ष मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान विभागीय टाईप टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी मं 25 या 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से टाईप पास करना होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए केवल टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही हकदार होगा।	(क) (ख) (ग)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल अथवा बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा इसके समकक्ष रैस्टोरर या सेवादार कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। हिन्दी का ज्ञान मैट्रिक तक विभागीय टाईप टैस्ट हिन्दी या अंग्रेजी में 25 या 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से टाईप पास किया हो तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए केवल टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही हकदार होगा।
13	गैस्टेटनर आप्रेटर		––		दफतरी, सेवादार, चौकीदार या मेहतर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, अधिमान दफतरी को दिया जायेगा।
14	रैस्टोरर		––		दफतरी, सेवादार, चौकीदार या मेहतर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, अधिमान दफतरी को दिया जायेगा।

परिशिष्ट ग						
(देखिये नियम 14(1)						
क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनुभाग अधिकारी	निदेशक	1. छोटी शस्तियां– (i) व्यक्तिक फाईल(आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी; (ii) परनिन्द; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा का उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार को ना किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो वा नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राजय विधान–मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याल को हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली, (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।	निदेशक	सचिव, हरियाणा सरकार स्थानीय प्रशासन विभाग	सरकार
2.	निजि सहायक					
3.	उप–अधीक्षक					
4.	वनिष्ठ अभियन्ता					
5.	प्रारूपकार					
6.	सहायक					
7.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक					
8.	चालक					
9.	आशुटंकक					
10.	पंजीकरण निरीक्षक					
11.	लिपिक–कम–पंजीकरण लिपिक					
12.	मोहरर					
13.	गैस्टैअनर ओपरेटर					
14.	रैस्टोरर					
			2. बड़ी शास्तियां			
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्विया रोकना; किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्वियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्वियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं । (vii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	

			उस समय पर जिससे वह वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा अवनत किया गया था, पदौन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा । (Viii) अनिवार्य सेवा निवृति; (ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता हनी होगी; (x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ					
(देखिये नियम 14 (2))					
क्रम संख्या	पद की पद संज्ञा राज्य स्तरीय पद	शास्ति के स्वरूप	शास्ति लगाने के के लिए मशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतितम अपील प्राधिकारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अनुभाग अधिकारी	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सचिव हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग	सरकार
2.	निजि सहायक				
3.	उप अधीक्षक				
4.	कनिष्ठ अभियन्ता				
5.	प्रारूपकार				
6.	सहायक				

7.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	टिप्पणी– अनुभाग अधिकारी के सम्बन्ध में दण्ड प्राधिकारी उसका अपना विभाग होगा।			
8.	चालक				
9.	आशुटंकक				
10.	पंजीकरण निरीक्षक				
11.	लिपिका–कम–पंजीकरण लिपिक				
12.	मोहरर				
13.	गैस्टैटनर ओपरेटर				
14.	रेस्टोरर				

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांकः–9 नवम्बर, 2013

सा0 का0 नि0 78/संवि0/अनु0 309/2013, – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निदेशालय, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा (ग्रुप 'ग') सेवा नियम, 1997, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय(ग्रुप 'ग') सेवा संशोधन नियम 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय(ग्रुप 'ग') सेवा नियम, 1997, (जिन्हें, इसमं, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) में खण्ड (ट) में, "लिपिक एवं पंजीकरण लिपिक" शब्दों के स्थान पर 'लिपिक' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3 उक्त नियमों में नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थातः–

" 9क–(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शार्तो के भाग रूप में कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.सी) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथ ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थानों में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इतयादि से पदोन्नत किए गए है, जिन्होनें सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा एंप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.सी) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगीा।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोगय दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भित्तर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगीा। ग्रुप ग में पदो के पूर्वोक्त प्रवर्गो के विरूद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपनी वेतनमान मं कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती हैं, जिसमें असफल रहने पर ऐसे

कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड(हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप–नियम (4) में यथा उपबन्धित वहले पाठयक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बनध में विनिर्दिष्ट करे पाठयक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अनरूप एजेन्सी द्वारा जारी किया गया पास प्रमाण पत्र सेवा नियमों मं विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्पयूटर अपीशिएशन तथ ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठयक्रम में केवल वर्ड प्रोसैसिंग, इन्टरनैट बराउजिंग तथा ई–मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्पयूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.सी) देने से छूट दी जाती है:–

(i) एम.टैक/बी.टैक. (कम्पयूटर), एम.सी.ए, बी.सी.ए या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्पयूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(एन.आई.ई.एल. आई.टी.)(पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्पयूटर साक्षरता प्रामाण पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों(ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाणा पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते सतय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा

(v) शरीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन उपरी अंगों का अंगच्छेदन परैलइसिस ऑफ रेडयल

(रेडयल नॅंव पाँःलजि) दोनों में से कोई एक उपरी अंग। नॅंवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरटिव डिसआँःडअँ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणत तथा आंखो की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा(v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,–

1 क्रम संख्याा 7 के सामने खाना 3 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(i) 10+2

(ii) हिन्दी आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट की गति से और अंग्रेजी आशुलिपिक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः 15 तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यातरण का टैस्ट पास करेगा;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान

II क्रम संख्या 9 के सामन खाना 3 के नीचे

(क) विद्यमान मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थातः–

(i) 10+2

III क्रम संख्या 11 के सामने–

(i) खाना 2 के नीचे लिपिक एवं पंजीकरण लिपिक शब्दों के स्थान पर लिपिक शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

IV क्रम संख्या 11 के सामने–

(i) खाना 3 के नीचे मद(क) तथा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थातः–

(क) 10+2 तथा

(ग) नियम 9 के दृष्टिगत लोप कर दिया गया हैं।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ में क्रम संख्या 11 के सामने विद्यमान खाना 2 के नीचे विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थातः–

" लिपिक"।

पी0 राघवेन्द्रा राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।